हेतु। इसे देखते हुए उन्होंने अपने पास भेजे गए मामले को अस्वीकृत छोड़ दिया। विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 14 और 17 के तहत याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा है :

> "मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच मतभेदों को निर्धारित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने विवाद में मामले कोअनिर्णयित छोड़ दिया है और पार्टियों को चंडीगढ़ के एस्टेट ऑफिसर के समक्ष सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।

(9) इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए विद्वान वरिष्ठ उप-न्यायाधीश को अधिनियम की धारा16 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत दिए गए निर्णय को पुनर्विचार के लिए मध्यस्थ को भेजना चाहिए था और 22 अप्रैल, 1983 के संदर्भ के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे को अंतिम रूप से निर्धारित करना चाहिए था। इस प्रकार, धारा 14 और 17 के तहत याचिका को खारिज करते हुए विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश। अधिनिर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए अधिनियम की धारा निरस्त की जा सकती है। इसलिए, मैं आक्षेपित आदेश को निरस्त करता हूं। इसके अलावा, संशोधन याचिका की अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। मामले को चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाता है, जो इस निर्देश के साथ मध्यस्थ को पुरस्कार भेजेंगे कि पक्षकारों के मध्यस्थ के समक्ष पेश होने से चार महीने के भीतर मामले को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाए।

(10) पक्षकारों को वकील के माध्यम से 8 जुलाई, 1991 को चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल के समक्ष

किशोर कुमार गुप्ता और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हा.रायना और एक ओ[टीएचईआर], - *उत्तरदाताओं।*

आपराधिक विविध. 1989 का क्रमांक 7862-एम

19 जुलाई, 1991।

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 149, 420, 406, 498-ए - *क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता,* 1973 (1974 *का II*) - *धारा* 156 (3), 482 - पत्नी द्वारा की गई *शिकायत पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज* की गई - *एफआईआर में क्रूरता आदि के कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं--*

-

केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे - एफआईआर रद्द की जा सकती है

यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी विशिष्ट आरोपों के अभाव में, उनके खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनाया गयाहै। केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप कि उन्होंने शिकायतकर्ता के प्रति क्रूरता के साथ काम किया या धोखाधड़ी आदि का अपराध किया, भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी *प्रथम दृष्टया* मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार,वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। (पैरा 7)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका।भारत के *संविधान* के अनुच्छेद 227 के *साथ पढ़ें*जिसमें *प्रार्थना की गई है कि याचिका को स्वीकार किया जाए और एफ.आई.आर.* धारा 406/498-ए/420/149 आईपीसी (*अनुलग्नक* पी-1) के तहत पुलिस *स्टेशन, अंबाला शहर की धारा* 491/86 के तहत याचिकाकर्ताओं को अन्य *सभी बाद की कार्यवाही* के *साथ रद्द किया जाए*।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चालान पेश किया गया है और मामले को 27 *नवंबर,* 1989 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला के समक्ष आरोप *पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए आरोप तय करने पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को भी वर्तमान आपराधिक याचिका के लंबित रहने*

के दौरान छूट दी जाए।यह भी पाया जाता है कि उन्हें भी प्रदान किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किरण बाला जैन।

सुनील गौड़, वकील, *प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।*

निर्णय

एस. एस. ग्रेवाल, जे. (मौखिक)

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका श्रीमती सुचेता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498/149 और 420 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 491/86 को रद्द करने से संबंधित है और 31 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रिमिनल प्रक्रिया 1973 की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करने के लिए भेजा गया है । 1986 और उसके परिणामस्वरूप उसके अंतर्गत कार्यवाही की गई।

(2) संक्षेप में, इस याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है, यह है कि शिकायतकर्ता का विवाह दया नाहद मित्तल निवासी मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ 23 जून, 1985 को ⊠ंबाला शहर में हुआ था।

किशोर कुमार गुप्ता और अन्य हरियाणा राज्य और एक अन्य

(एस. एस. ग्रेवाल, जे.)

इस शादी का प्रस्ताव अशोक कुमार गुप्ता आरोपी (शिकायतकर्ता के पिता का चचेरा भाई) और उसकी पत्नी श्रीमती रानी ने दिया था, जो दोनों भी दयान नौद मित्तल के आरोपी हैं। अशोक कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों ने जून, 1985 के महीने में शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता को सूचित किया कि दया नंद मित्तल कुंवारे, स्नातक थे और व्यवसाय से 5000 रुपये प्रति माह कमाते थे, और उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि दया नंद मित्तल एक मालिक हैं गाज़ियाबाद में घर और उनसे संबंधित होने के कारण वे उसे जानते थे और उसके विवरण और पूर्ववृत्त की पुष्टि कर चुके थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, अशोक कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी श्रीमती रानी द्वारा किए गए उक्त आश्वासन और अभ्यावेदन के आधार पर, शिकायतकर्ता ने दया नंद मित्तल आरोपी के साथ अपने विवाह के लिए अपनी सहमति दी। विवाह समारोह 16 जून, 1985 को किया गया था और उस समय दया नंद मित्तल को 5100 रुपये और शिकायतकर्ता के माता-पिता के साथ वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित प्रत्येक रिश्तेदार को 500 रुपये दिए गए थे । इसके अलावा दया नंद के आरोपियों को एक सोने की अंगूठी और एक सफारी सूट दिया गया । उन्होंने दया नंद मित्तल की मांग पर टीवी सेट खरीदने के लिए 3,500 रुपये नकद भी दिए। अशोक कुमार गुप्ता और श्रीमती रानी ने आरोपी बनाया। 20 जून, 1985 को अशोक कुमार गुप्ता और श्रीमती रानी द्वारा की गई मांग पर आरोपी बनाया गया। फर्नीचर खरीदने के लिए उन्हें 6,500 रुपये का भुगतान किया गया था, जो शिकायतकर्ता को उसकी शादी पर दिया जाना था। टीटी पर आगे आरोप लगाया गया था कि शादी के समय शिकायतकर्ता के

माता-पिता ने उसे एक सोने का सेट दिया था, जिसमें गर्दन रहित, कान की अंगूठी, नाक-अंगूठी, उंगली की अंगूठी, लगभग 6 तोला वजन और और दस साड़ियाँ ब्लाउज शामिल थे, जो एक ब्रीफ-केस में पैक किए गए थे, जिसे बारात के प्रस्थान से पहले अंबाला शहर में उपस्थित याचिकाकर्ताओं सहित आरोपी को सौंप दिया गया था। शादी के बाद, शिकायतकर्ता को उसके पति द्वारा घर ले जाया गया, और, अगले ही दिन अशोक कुमार गुप्ता और श्रीमती रानी को छोड़कर आरोपी ने शिकायतकर्ता को ताना देना और परेशान करना शुरू कर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा दहेज में कुछ भी नहीं लाया गया है और कपड़े और गहने आरोपी की अपेक्षा ओं और इच्छाओं के अनुरूप नहीं थे। शिकायतकर्ता के साथ उक्त आरोपियों द्वारा क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया था, जिसने उसे पीटा था, ताकि वह अपने माता-पिता से अधिक दहेज सामग्री लाने के लिए दबाव डाल सके। शिकायतकर्ता ने आरोपियों को शांत करने के लिए, और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने पति को अंबाला सिटी जाने के लिए कहा और कहा कि वह अपने पति को भुगतान करने के लिए अपने माता-पिता से 5.000 रुपये की राशि प्राप्त करेगी । दोनों 16 अगस्त को अंबाला शहर गए थे,

1986 : शिकायतकर्ता के माता-पिता ने दया नंद मित्तल को 3,600 रुपये का भुगतान किया।। शिकायतकर्ता को इस दलील पर छोड़ दिया गया कि वह रात भर में आकर उसे वापस ले जाएगा, लेकिन वह उसे वापस लेने के लिए कभी नहीं आया।

(3) पक्षकारों के विद्वान वकीलों की बात सुनी गई।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह सही प्रस्तुत किया गयाहै कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना और रिपोर्ट में कोई आरोप नहीं लगाया गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध होगा। इस बात का कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है कि किसी भी वर्तमान आरोपी ने शिकायतकर्ता या उसके माता-पिता को धोखा देने के लिए कुछ भी किया और न ही शिकायतकर्ता या उसके माता-पिता को कोई बेईमानी से प्रलोभन दिया, जो शिकायतकर्ता या उसके माता-पिता को दया नंद मित्तल के आरोपी के साथ शिकायतकर्ता की शादी करने के लिए राजी कर सके।अशोक कुमार आरोपी और उसकी पत्नी द्वारा शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता को बताया गया कि दया नंद आरोपी एक अविवाहित, स्नातक है और उसे आश्वासन दिया कि दया नंद मित्तल के पास गाज़ियाबाद में एक घर है और वह उनसे संबंधित है। वे जानते थे और उसके विवरण पुष्टि की थी । सामान्य आरोप कि सभी आरोपियों ने सही तथ्यों को छिपाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और धारा 149 ओआई के तहत दंडनीय धोखाधड़ी का अपराध किया है और शिकायतकर्ता

को दया नंद मित्तल के साथ शादी के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया है, प्रथम *दृष्टया* यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ताओं का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ-साथ धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है।

(5) जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध का संबंध है, बरात के प्रस्थान के समय दया नंद मित्तल को छोड़कर छह अभियुक्तों को संयुक्त रूप से एक संक्षिप्त मामले में पैक किए गए गहने और कपड़े सौंपने के संबंध में केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप हैं । यहपूरी संभावना है कि छह आरोपियों को संयुक्त रूप से एक संक्षिप्त मामला सौंपा जा सकता है। वर्तमान मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में मेरे विचार से छह आरोपियों को ब्रीफकेस सौंपने से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि दहेज का सामान वास्तव में भारतीय दण्ड संहिता धारा 406 के अर्थ के तहत वर्तमान याचिकाकर्ताओं को सौंपा गया था। केइसके अलावा, वर्तमान के खिलाफ कोई झुकाव नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर छह आरोपियों को सौंपे गए गहनों या कपड़ों का बेईमानी से दुरुपयोग किया या उन्हें अपने उपयोग में बदल दिया। इस प्रकार *प्रथम दृष्टया* इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत कोई अपराध किया गया है।

(6) यह सच है कि प्रथमसूचना याचिका के पैरा संख्या 13 के आरोपों के अनुसार, विवाह के अगले ही दिन यानी 25 जून, 1985 को याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को उनकी अपेक्षा और इच्छा के अनुसार दहेज नहीं लाने के लिए ताना मारा और परेशान किया। उक्त आरोपियों पर यह भी आरोपहै कि उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया और उसे पीटा ताकि उस पर अपने माता-पिता से उनकी मांगों के अनुसार अधिक दहेज लाने के लिए दबाव डाला जा सके। हालांकि, शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों को शांत करने के लिए और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसने अपने पति से उसे अंबाला शहर में लाने के लिए कहा और वहां उसे अपने माता-पिता से 3,000 रुपये मिले और उसे अपने पति को सौंप दिया।

(7) वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के प्रति क्रूरता से काम किया।। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप वर्तमान याचिकाकर्ताओं के

खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत किसी भी प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, जो लागू प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता के पति से भी संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(8) पूर्वगामी कारणों से, लागू की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही, जहां तक ये वर्तमान याचिकाकर्ताओं से संबंधित हैं, इसे रद्द किया जाता है। हालांकि, कानून के अनुसार शेष अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के लिए कोई कानूनी रोक नहीं होगी। इस याचिका को ऊपर उल्लिखित सीमा तक अनुमति दी जाती है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक शेष अभियुक्तों का संबंध है, इस मामले के निपटान के लिए यहां दी गई किसी भी बात का किसी भी तरह से मामले की सुनवाई को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। इस आदेश की प्रति जानकारी के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और

निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा